

सामाजिक समूह

साधारणतया बोल-चाल की भाषा में समूह का अर्थ कुछ व्यक्तियों का एकत्रित रूप समझा जाता है। किंतु समाजशास्त्र में व्यक्तियों के प्रत्येक एकत्रित रूप को समूह नहीं कहा जा सकता है।

Schmidgen ने समूह का अद्ययन अन्तः निर्भरता तथा अन्तः सम्बन्ध के रूप में किया जाता है। समाजशास्त्र में ऐसी एक ही परिभाषा नहीं मिलती जिसमें समूह के निर्माण के लिए सभी आवश्यक तत्वों का वर्णन हो।

अतः विभिन्न परिभाषाओं तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के आधार पर Social group एवं उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन किया जा सकता है। Edward Sapir के अनुसार समूह के निर्माण के लिए सामान्य तत्वों का रहना आवश्यक है। उन्हीं के शब्दों में —

"Any group is constituted by the fact that, there is some common interest which hold its members together"

अर्थात् (समूह का निर्माण केवल इस तथ्यपर आधारित है कि कोई न कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बाँधे रखता है।)

Lenin के शब्दों में "The essence of group is not the similarity or dissimilarity of its members, but their interdependence"

(समूह का सम्बन्ध व्यक्तियों की समानता या असमानता नहीं है बल्कि उनकी अन्तः निर्भरता है।)

Maciver & Page ने समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि

"By group we mean any collection of human beings, who are brought into social relationship with one another"

अर्थात् (समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक सम्बन्धों के कारण एक-दूसरे के समीप हो।)

Maciver के अनुसार Social group के निर्माण के प्रमुख तत्त्व Social relationship है।

जब तक व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता एवं पारस्परिक निर्भरता की भावना नहीं होगी तब तक group का निर्माण नहीं हो सकता है।

Gibson & Nimcoff ने भी Social group को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "Whenever two or more individuals come together & influence each other they may be said to constitute

a social group."

अर्थात् (जब कमी हो या हो सके अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं।)

इसका मतलब कि समूह के कुछ सदस्यों में पार-
स्परिक जागरूकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना रहनी है।
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कुछ व्यक्तियों का एक जगह
पर एकत्रित हो जाना ही समूह निर्माण के लिए आवश्यक शर्त नहीं
है। अतः उपरलिखित परिमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं
कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन है। उन लोगों में
परस्पर सहयोग एवं परस्पर सम्वन्ध की भावना रहनी है। साथ ही
व्यक्तियों में सामान्य हित का होना भी आवश्यक है। जिसके कारण
वे समूह का निर्माण करते हैं। समूह के सम्वन्ध में जैसा कि New
comb ने बतलाया है, एक समूह के सदस्य सामाजिक जीवन के कुछ
पहुँचों के सम्वन्ध में एक ही आदर्शों और मूल्यों का पालन करते हैं।

समूह के निर्माण का आधार एक नहीं बल्कि
मिन्न-मिन्न आधारों पर समूह का निर्माण होता है। अतः मिन्न-मिन्न
आधारों पर Sociologists ने Social groups का मिन्न-मिन्न वर्गीकरण
(Classification) प्रस्तुत किया है।

(4) Ward & Giddings ने इच्छा एवं अनिवार्यता के आधार पर सामाजिक समूह को वर्गीकरण प्रदान किया है, जो एच्छिक समूह (voluntary group) तथा अनिवार्य समूह (Involuntary group) दो भागों में बाँटा है।
 एच्छिक समूह → उस समूह को कहा जाता है जिसकी सदस्यता व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे:- श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ, क्लब, राजनीतिक पार्टी आदि। इसके विपरीत अनिवार्य समूह → उस समूह को कहा जाता है जिसकी सदस्यता व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं होती है, बल्कि अनिवार्य रूप से उसका सदस्य बनना पड़ता है। जैसे:- जाति, परिवार आदि।

(2) W. G. Sumner ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Folkways' में Social groups को दो भागों में बांटा है - In group, out group। कोई भी group न तो अपने आप में In group होता है और न ही out group। हमारी आत्मीयता ही यह निश्चित कर सकती है कि कौन समूह हमारे लिए In group है - और कौन out group, जिस समूह के साथ दूसरे समूह की तुलना में आत्मीयता अधिक रहती है और जिस समूह के सदस्यों के साथ हमें समूह की भावना अधिक रहती है वे ही हमारे लिए In group बन जाते हैं। इसके विपरीत जिस समूह

के साथ हम समूह की भावना का अभाव रहता है तथा आत्मीयता की भावना नहीं रहती है। Out group बन जाता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं प्रतीत होगा कि ये समूहों में दूसरों के आधार पर ही यह बतलाया जा सकता है कि कौन समूह हमारे लिए In group है और कौन समूह Out group है। एक स्थिति में अन्य समूहों से जुड़ना करने पर जो group, Out group हो सकता है वही समूह दूसरी परिस्थिति में In group हो सकता है। उदाहरण स्वरूप Year के रूप में देखा जाए तो 11th Year Sociology के students के लिए 12th Year के Sociology के students Out-group के सदस्य हो सकते हैं। वहीं 12th Year Sociology के students Intermediate के students की तुलना में हमारे लिए In group के उदाहरण हो सकते हैं।

ये सामाजिक समूह को तीन भागों में बाँटा है:-

(i) E. A. Ross

A. स्थानीय समूह (Local group)

B. सादृश्य समूह (Likeness ") तथा

C. स्वाधे समूह (Interest ")

Local group → उन समूहों को कहा जाता है जिसके निर्माण का आधार निश्चित क्षेत्र में निवास करना होता है। अर्थात् एक निश्चित भू-भाग में बसने वाले व्यक्तियों के समूह को स्थानीय समूह कहा जा सकता है। पड़ोस, ग्राम तथा शहर ऐसे समूह के उदाहरण हैं। जिस समूह के आधार रंग, लिंग, भाषा एवं धर्म इत्यादि तत्व होते हैं उन समूह को Likeness group (सादृश्य) कहा जाता है। एक सादृश्य दिखाई देने वाले सदस्यों के संगठन से इस तरह के समूह का निर्माण होता है, ये जनजाति, कबीला, राष्ट्र इत्यादि ऐसे समूह के उदाहरण हैं। जिस समूह के निर्माण का आधार एक विशेष स्वाधे हो उसे Interest group कहा जा सकता है। एक समान स्वाधे वाले अपने स्वाधे की पूर्ति के लिए जब कोई संगठन का निर्माण करते हैं तब इस प्रकार के समूह का जन्म होता है। छात्रा संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

(ii) समूह का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण Primary & Secondary group के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। C. H. Cooley ने सर्वप्रथम Sociologist हैं जिन्होंने Primary group की अवधारणा 1909 ई. में प्रस्तुत किया। उन्होंने Secondary group की अवधारणा का प्रयोग पहले नहीं किया था। कुछ समाजशास्त्रियों ने Primary group से भिन्न विशेषता रखने वाले समूह को Secondary group नाम दिया था, जिसे बाद में Cooley ने भी स्वीकार किया। Primary group उन समूहों को कहा जाता है जिसके सदस्यों

में आत्मीयता की भावना, हम समूह की भावना, संवेगात्मक लगाव (emotional attachment) तथा प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत सहयोग की भावना हो। ऐसे समूह का आकार तुलनात्मक रूप में छोटा होता है तथा तुलनात्मक रूप में स्थिरता अधिक पायी जाती है। प्रथमवर्गीय समूहों को परिभाषित करते हुए कोब्ले ने स्वयं लिखा है :- "By primary groups I mean those characterised by intimate face-to-face association & co-operation."

इस परिभाषा से यह भी पता चलता है कि कोब्ले ने प्रथमिक समूह के निर्माण के लिए आत्मीयता, आगे-सामने का सम्बन्ध, एवं सहयोग ये तीन आवश्यक शर्तें हैं। जहाँ तक आत्मीयता का प्रश्न है, सभी समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि प्रथमवर्गीय समूहों के निर्माण के लिए समूह में अधिक आत्मीयता की भावना पाया जाना। किंतु जहाँ तक आगे-सामने के सम्बन्ध का प्रश्न है यह HANS NORTH के अनुसार प्रथमवर्गीय समूहों के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में आगे-सामने का सम्बन्ध रहने पर भी प्रथमवर्गीय समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। तथा दूसरी ओर आगे-सामने का सम्बन्ध न रहने पर भी प्रथमवर्गीय समूह भँगा नहीं होता है। उदाहरणार्थ Railway platform या court में व्यक्तियों से आगे-सामने का सम्बन्ध रहता है फिर भी प्रथमवर्गीय समूह का निर्माण नहीं होता है। साथ ही विदेश में रहने वाले व्यक्ति का अपने देश में रहने वाले परिवार के लोगों से सम्बन्ध टूट नहीं जाता है। प्रथमिक परिवार के सदस्यों के साथ आगे-सामने के सम्बन्ध के रूप में बंधे नहीं रहते हैं। परिवार, पड़ोस एवं व्यक्तियों का छोटा समूह, कोब्ले के अनुसार प्रथमवर्गीय समूहों के सामाजिक उदाहरण हैं। इसके विपरीत Secondary समूह उन समूहों को कहा जाता है जिसके सदस्यों में आत्मीयता की भावना की कमी रहती है, जिसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है तथा स्थिरता में भी कमी रहती है। ऐसे समूह में शर्त पर आधारित सम्बन्ध (Contractual Relation) पाया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रथमवर्गीय समूह से भिन्न विशेषता रखने वाले समूह Secondary समूह हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए Robert Bierstedt ने भी लिखा है कि "Secondary groups ... are all those that are not primary." Political Party, Club, State, Student Union इत्यादि Secondary समूहों के उदाहरण कहे जा सकते हैं।

S. N. Choudhary
Mamoria College
L. N. M. U.